

2020/00009

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्र. प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
5/20	212 RTA	— यो की	इबड़ा
वादी	AB/05/2020	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
अंकारला ल	बनाम	भूलाल	

वकील :- मनी सिंह जादौन

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

7/20

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 28/01/2020 को पेश हो।

28/20

अपनी नियमित अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 28/01/2020 को पेश हो।

*(Signature)*  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा),

24/20

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O. साहू वारे की रिपोर्ट में प्यारे है आयेदा पूर्ववत् पत्रावली वास्ते सम्मन डेवदार दिनांक 31/3/20 को पेश हो।

वादी लाल  
सामान  
प्रद

31/20

अपनी नियमित अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 31/03/20 को पेश हो।

*(Signature)*  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा),

4/20

अपनी नियमित अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 04/04/20 को पेश हो।

*(Signature)*  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा),

पत्रावली पेश हुई। वकूलाए परीको 3 पत्र/जवाब पत्रा  
 वही हुआ। समय चाहे है। Rs. 2000 को पर कतिपय  
 रुकावट दिया जाता है। अन्यथा जवाब वंद कर दिया  
 जावेगा। कोई अवसर नहीं दिया जावेगा। पत्रावली वास्ते  
 जवाब दिनांक 15.10.24 को पेश हो।

15.10.24 पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी उपा कजमी व वकील  
 कजमी उपा कजमी वी वकील कजमी व स्वयं कजमी को  
 भी कर आवाज लगाया गया। कादरुस इलाक के  
 न्यायालय में उपा कजमी वी उनके विरुद्ध एक नया कार्यवाही  
 की जायेगी वी पत्रावली वास्ते कदम दिनांक 18.11.24 को  
 पेश हो।

18.11.24 पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी उपा कजमी कदम  
 देव साधु चाहे वी पत्रावली वास्ते कदम दिनांक  
 2-12-24 को पेश हो।

2.12.24 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में  
 व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में  
 दिनांक ... 1.12.24 ... को पेश हो।  
 1/4  
 रीडर  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारा)

9.12.24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राधी एवं स्वयं प्राधी उपा कजमी  
 वी न्यायालय के फल - फल कर तीन बार आवाज लगाई  
 गई। न्यायालय कार्यवाही समाप्त होने तक इंतजार किया  
 गया। कोई उपा नहीं हुआ है। प्रकरण अफ दायरी एवं  
 कदम पत्रकी के खारिज किया जाता है। पत्रावली पेशाल  
 सुनार होकर साखिल एकर हो।